भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या 403

गुरुवार, 08 दिसंबर, 2022 / 17 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

आपातकालीन लैंडिंग

403. श्री फिरोज़ वरुण गांधी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विमान कम्पनियों के विमानों द्वारा की गई आपात लैंडिंग की संख्या का ब्यौरा उपलब्ध है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और विमानन कंपनी द्वार ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या सरकार ने उक्त विमान कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख) प्रचालन करने वाले कर्मीदल ने 01.01.2020 से अब तक, 23 उड़ानों में एमेर्जेंसी घोषित की है। वर्षवार और ऑपरेटर वार डेटा निम्नानुसार है:

एयरलाइन	वर्ष		
	2020	2021	2022
एयर एशिया	1	0	0
एअर इंडिया	1	0	1
एआईएक्सएल	0	2	2
अलायंस एअर	1	0	0
इंडिगो	4	5	2
स्पाइसजेट	0	2	2

(ग) और (घ) उन्नीस मामलों में, विमान की लैंडिंग के बाद, प्रभावित घटकों को बदल दिया गया। एमेर्जेंसी लैंडिंग की तीन घटनाएँ, मौसम परिवर्तन के परिणामस्वरूप तथा एक एमेर्जेंसी लैंडिंग पक्षी से टकराने के कारण हुई थी। ऐसे घटनाओं का गहन विश्लेषण किया जाता है और उनकी गंभीरता का स्तर निर्धारित किया जाता है। गंभीरता के आधार पर, घटनाओं की जाँच होती है। इन घटनाओं में कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है।

(ङ) प्रचालक अपने विमानों का रख-रखाव निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार करते हैं। विमान के सिस्टम में खराबी के कारण हुई एमेर्जेंसी लैंडिंग जैसी घटना के मामले में, अनुमोदित अनुरक्षण कार्यक्रम के आधार पर सिस्टम को ठीक किया जाता है और विमान को प्रचालन हेतु दे दिया जाता है। विमानों का अनुरक्षण निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार होने का सुनिश्चय करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय अपनी वार्षिक निगरानी योजना के अंतर्गत निगरानी और औचक जांच करता है।

डीजीसीए की जांच के परिणाम के आधार पर, मौसम में परिवर्तन के कारण आपातकालीन लैंडिंग की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, भाविप्रा द्वारा निम्नलिखित परिपत्र जारी किए गए हैं:
(i) दिल्ली एसीसी/एप्रोच कंट्रोल यूनिट में न्यूनतम ईंधन और/या मेडे फ्युल (MAYDAY FUEL) घोषित करने वाली उड़ानों से निपटने के संबंध में, दिनांक 30.07.2021 का भाविप्रा परिपत्र 30

(ii) मौसम की जानकारी के प्रसार के संबंध में, दिनांक 20.01.2022 का भाविप्रा परिपत्र 01

लाइसेंस प्राप्त सभी हवाईअड्डों पर, वन्यजीव खतरा प्रबंधन कार्यक्रम का होना अपेक्षित है।